न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रार्थना–पत्र नम्बरः– 12 / 2022

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपुत साकिन देह खातेदार।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. **राजपेरोकार**
2. श्री कुलदीप खुडिया बैनीवाल

निर्णय दिनांकः 03/06/2024

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत साकिन देह सोनड़ी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेड़ काटने बाबत प्रार्थना पत्र जसवन्त सिंह पुत्र आदुसिंह जाति राजपूत निवासी सोनड़ी ने दिनांक 05.07.2022 को तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया।

प्रार्थना पत्र की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु पटवार हल्का सोनड़ी को लिखा गया मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट रोही मौजा सोनड़ी में आदुसिंह पुत्र भैरूसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत साकिन देह खातेदार के खेत रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 153/1 मे मौके पर 7 खेजड़ी के हरे व 1 बेरड़ी का हरा इस प्रकारण कुल 8 हरे वृक्ष मौके पर कटे हुए पाये गये उक्त पेड़ों को बहक सरकार कुर्क किया गया। उक्त पेड़ मौके पर श्री रायसिंह पुत्र ख्यालीराम ग्राम प्रतिहारी सोनड़ी की सपुर्दगी में दिये गये सपुर्दगीकार को पेड़ खुर्द बुर्द न हो की हिदायत दी गई तथा पटवारी हल्का सोनड़ी को आदेशित किया गया की उक्त पेड़ों को क्षेत्रीय वन अधिकारी नोहर को सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा 8 हरे पेड़ काटे गये है के विरूद्ध भारी से भारी जुर्माना एवं मौके पर पड़े 8 पेड़ों की निलामी की कार्यवाही के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया की उक्त वाद भूमि की बिजाई व समतल हेतु छोटे पेड़ का[illegible] है सिर्फ भूमि सुधार के लिए पेड़ो की छंगाई व झाड़िया काटी है अतः प्रार्थना पत्र खारिज [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:32 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाब [illegible] पत्र का गहराई से अध्ययन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है कि अप्रार्थी स0 1 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोही मौजा सोनड़ी के खसरा न0 153/1 मे मौके पर 7 खेजड़ी के हरे व 1 बेरड़ी का हरा इस प्रकारण कुल 8 हरे काटे गये है। बिना स्वीकृति के हरे पेड़ काटना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के उल्लंघन कारित करने पर अप्रार्थी स0 1 को 100/– (अखरे एक सौ रूपये मात्र) प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अध्यारोपित की जाती है। अप्रार्थी स0 1 उक्त 08 पेड़ों की राशि 800/– (अखरे आठ सौ रूपयें मात्र) राजकोष में जमा करवावें एवं उक्त पेड़ों की एवज में दुगुने पेड़ अर्थात 16 पेड़ खेजड़ी/शीशम के लगाने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को पाबन्द किया जाता है कि बगैर अनुमति से काटे गये पेड़ों की जब्तशुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें व उक्त समस्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर मय रसीद आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 03/06/24 को मेरे द्वारा द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:47:32 IST
Reason: SelfAttested